



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(10)परावि/प्रशा.1/आर.आर.डी.एस-2013/संस्था/2017/1255 जयपुर दिनांक:- 4-7-19

—:आदेश:—

विभागीय आदेश क्रमांक 2192 दिनांक 8.9.17 (क्रम संख्या 10) द्वारा श्री विनित कुमार सुखाडिया हाल विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड जिला सिरोही को राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा मे परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप मे दो वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्ति प्रदान करने पर श्री विनित कुमार सुखाडिया द्वारा दिनांक 13.9.17 को अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की गई।

श्री सुखाडिया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्मिक (क-4) विभाग की अ.शा. टीप क्रमांक प.1(3)कार्मिक/क-4/2019 दिनांक 30.6.19 की क्रम संख्या 73 पर राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2016 के अन्तर्गत राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन होने पर प्रशिक्षण के लिये उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा से कार्यमुक्त करने हेतु अनुरोध किया है।

विभागीय नियुक्ति आदेश के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार श्री सुखाडिया के प्रशिक्षण अवधि के दौरान हुई व्यय राशि की दुगुनी राशि जमा नही कराने की छूट श्री सुखाडिया को उनके द्वारा प्रस्तुत बन्ध पत्र के आधार पर दी जाती है कि राज्य सेवा में परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण होने से पूर्व सेवा को छोडकर जायेगें तो प्रशिक्षण के दौरान प्रदत्त की गयी समस्त परिलब्धियों की दोगुनी राशि (जो भी नियमानुसार देय होगी) राजस्थान सरकार को जमा करानी होगी।

अतः श्री विनित कुमार सुखाडिया को उक्त शर्त के साथ राजस्थान प्रशासनिक सेवा मे चयन उपरान्त कार्मिक विभाग में कार्यग्रहण हेतु राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(गौरव चतुर्वेदी)
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, महानिदेशक, पुलिस राजस्थान जयपुर।
8. महानिदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग को उनकी आज्ञा क्रमांक प. 1(3)कार्मिक/क-4/2019 दिनांक 30.6.19 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
10. संभागीय आयुक्त जोधपुर।
11. जिला कलेक्टर सिरोही।
12. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही।
13. विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड जिला सिरोही।
14. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
15. ए.सी.पी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
16. आदेश पत्रावली।

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त (प्रशा.1)